न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 13/21 सन् 2021

जीसीएमएस संख्या 2021/153

बउनवानी–1. रामधन पुत्र श्योपाल मीना निवासी ग्राम नीदंडदा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मोहन पुत्र हरनाथ योगी नि0 बीड का टापरा भगवतगढ तह. चौथ का बरवाडा
2. सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 616/2021 निर्णय दिनांक 5.4.2021 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री हिम्मत सिंह — वकील अपीलान्ट

2. श्री श्यामसुन्द गुप्ता — वकील रेस्पो. संख्या 1

2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 06.01.2022

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 616/2021 में पारित निर्णय दिनांक 5.4.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम भगवतगढ की भूमि आराजी ख0न0 2000 रकबा 0.32 है0 पर से अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पो. संख्या 1 को बेदखल करने बाबत पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2077 में ग्राम भगवतगढ बी की भूमि ख0न0 2000 रकबा 0.32 है0 किस्म बारानी–2 पर अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 तारामीरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिये जाने के आशय की रिपोर्ट पटवारी द्वारा प्रस्तुत की जाने पर उभय पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का अवसर दिये जाने पर अपीलान्ट एवं रेस्पो.संख्या 1 का विवादित भूमि पर अपना–अपना स्वंय कब्जा होना बताया जाने पर दिनांक 5.4.2021 को पुनः मौका देखा गया एवं पडौसियों से पुछताछ की जाने खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2071 से 2076 के अनुसार उक्त भूमि पर रेस्पो.संख्या 1 पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण रेस्पो. संख्या 1 को ख0न0 2000 रकबा 0.32 है0 पर से बेदखल करने के साथ–साथ लगानं 2.56 का 50 गुना 128/–रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। स्वंतत्र गवाहो के लिये गये बयान के आधार पर रेस्पो. का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है क्योकि अदालत मातहत ने सम्वत् 2071–2074 की खसरा गिरदवारी के आधार बनाकर मिथ्या आदेश पारित किया गया जबकि इससे पूर्व के समस्त रिकार्ड मे अपीलान्ट व उसके पिता श्योपाल का नाम खसरा गिरदवारी मे दर्ज है। वर्तमान ख0न0 2000 [illegible] खसरा नम्बर 1686 है0 खसरा नम्बर1686 पर सम्वत् 2028 से पूर्व से ही [illegible] पिता श्योराम पुत्र भोरया मीना का कब्जा था अपीलान्ट के पिताजी [illegible] तक उक्त भूमि पर वे खेती करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट विवादित भूमि पर काबिज होकर [illegible] करता रहा है। किन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर [illegible] नही किया कि रेस्पो[illegible]या एक का विवादित भूमि के आसपास कोई खेत नही है जबकि विवादित भूमि की सीमाऐं व अपीलान्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

खेत की सीमाऐ आपस मे मिल रही है। रेस्पो. संख्या 1 अपीलान्ट के खेत पर मजदूरी का कार्य करता था जिससे राजस्व अधिकारियों से साज कर गलत एवं मिथ्या तरीके से स्वंय के नाम खसरा गिरदावरी करवाली है अदालत मातहत द्वारा आज भी अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा माना है इसलिए अदालत मातहत ने कृषि वर्ष,2077 मे खसरा नम्बर 2000 मे 0.32 ऐयर पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए पुनः नोटिस जारी किया है। यह है कि आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 1.7.2021 को होने पर जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूम सरकारी भूमि है जिसपर रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट के विरूद्व कोई आदेश पारित नही किये है इसलिए उसको अपील करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए अपील अपीलान्अ खारिज किये जाने बाबत पैरोकारा राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि ख0न0 2000 रकबा 0.32 है0 पर मेरा सम्वत् 2065 से लगातार कब्जा काश्त होने के कारण अदालत मातहत द्वारा मेरे नाम नोटिस जारी किये जाकर मुझे बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि पर कब्जा होने बाबत स्वतंत्र गवाहो के बयान भी लिये गये है जिसमे सभी गवाहो द्वारा उक्त विवादित भूमि पर मेरा कब्जा काश्त बताया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पो. को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों से हो जाती है। यद्यपि पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 का विवादित भूमि पर अतिकूमण बताया गया है किन्तु किसका कितने भाग पर अतिक्रमण है स्पष्ट नही होने पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 5.4.2021 को विवादित भूमि का मौका देखा गया है तथा दौराने मौका निरीक्षण विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत गवाहो के बयान लिये जाने पर रेस्पो. संख्या 1 का अतिक्रमण साबित होने पर रेस्पो.संख्या 1 को उक्त भूमि पर से बेदखल करने एवं लगान 2.56 का 50 गुना 128 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली ... नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर